

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर./2017-18

दिनांक 01.09.2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-प्रथम)

विषय : कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी.आर के रूप में प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार के पत्रांक प.1(14) शिक्षा-1/2008 दिनांक 20.10.2008 के अनुसार राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा-8 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा रसीद (स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीट-एस.टी.डी.आर) योजना संचालित की जा रही है। कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण कर सत्र 2017-18 राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000/-रूपये की एस.टी.डी.आर पांच वर्ष की अवधि के लिए देय है। तथा कक्षा 12 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सत्र 2017-18 किसी स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली छात्रा को 4000/-रूपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की देय है। छात्रा द्वारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही राशि आहरित की जा सकेगी अन्यथा राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः ही हस्तान्तरित हो जायेगी। इसकी पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

पात्रता

1. शैक्षिक सत्र 2014-15 में किसी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 8 वीं उत्तीर्ण कर लेने के बाद शैक्षिक सत्र 2016-17 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2017-18 में किसी राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत हो।
2. शैक्षिक सत्र 2016-17 में किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक सहित कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षिक सत्र 2017-18 में किसी राजकीय/गैर राजकीय महाविद्यालय के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।

सामान्य शर्तें

1. छात्रा को किसी कारण से स्नातक करने से पूर्व मध्य में पढाई अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि से 3 वर्ष तक अधिक अवधि में भी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर एस.टी.डी.आर. की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात भी यदि छात्रा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाती है तो एस.टी.डी.आर. पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। सभी स्नातक पाठ्यक्रम यथा अकादमिक/व्यावसायिक, राजकीय/ गैर राजकीय, सभी महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर योजना का लाभ देय होगा।
2. छात्रा द्वारा एस.टी.डी.आर. का भुगतान निर्धारित तिथि को प्राप्त नहीं करने की स्थिति में नवीनीकरण करने के लिए इसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को प्रस्तुत करना होगा।
3. छात्रा की एस.टी.डी.आर. उसके गृह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) द्वारा बनवायी जायेगी तथा इसके लिए वहा कभी भी उपस्थित होने पर छात्रा को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
4. छात्रा को एस.टी.डी.आर. बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ एक फोटो लिफाफे में डालकर संलग्न करनी होगी।
5. छात्रा को एस.टी.डी.आर. स्वयं और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-प्रथम) के संयुक्त नामों से बनवाकर सुपुर्द की जायेगी।
6. छात्रा निर्धारित अवधि में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्वयं और जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-प्रथम) के संयुक्त हस्ताक्षर होने पर ही एस.टी.डी.आर. का भुगतान प्राप्त कर सकेगी।

7. छात्रा को पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-प्रथम) में जमा करवाना होगा।
8. छात्राओं को एस.टी.डी.आर. एस. बी आई बैंक की शाखा से दिनांक 23.01.2008 को जारी मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शर्तों के अनुसार ही बनवाई जा कर दी जावेगी।
9. समस्त छात्राओं को विवरण प्रपत्र-1 में एस.टी.डी.आर. बनवाते समय बैंक को प्रस्तुत करना होगा।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम रजिस्टर में प्रपत्र-2 के अनुसार सूचनाएं संकलित करें।
11. समस्त छात्राओं को मूल एस.टी.डी.आर. का वितरण कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में समस्त छात्राओं के सम्मुख किया जाना अपेक्षित है।
12. अभिलेख समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र के साथ मूल एस.टी.डी.आर. की फोटो प्रति संलग्न करें।
13. प्रति वर्ष समस्त छात्राओं के आवेदन पत्र एक साथ नत्थी कर सुरक्षित रखें तथा बाईडिंग करवा ले।
14. समस्त कार्यवाही इस प्रकार से करें जहा तक हो सके कि छात्राओं को जिला मुख्यालय पर नहीं आना पड़े।
15. इस योजना की पंजिका पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में स्थाई पंजिका 2014-15 से 2017-18 तक अंकित करें तथा आगामी सत्रों के लिए समस्त प्रसारित निर्देशों की फोटो प्रतियां नत्थी कर नई पंजिका प्रारम्भ करें। ध्यान रहे इस सत्र में जारी समस्त निर्देश आगामी सत्रों में भी लागू रहेंगे।
16. इस सत्र में पात्र छात्राओं को एस.टी.डी.आर. प्रदान करने हेतु बजट आवंटन के प्रस्ताव प्रपत्र-3 में दिनांक 30.09.2017 तक आश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।


इस योजना को समस्त संस्था प्रधानों को प्रसारित करते हुए स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। ताकि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे।

संलग्न :- आवेदन पत्र एवं प्रपत्र-1,2,3


 प्रभारी
 अधिकारी(छात्रवृत्ति)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-1)/ (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को भेजकर लेख है कि सतत प्रबोधन करते हुए अपने अधीनस्थ जिलों के प्रस्ताव दिनांक 30.09,2017 तक इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाहित पर अपलोड करने बाबत।


 प्रभारी
 अधिकारी(छात्रवृत्ति)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा को स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एस.टी.डी. आर. के रूप में प्रोत्साहन राशि हेतु

आवेदन पत्र

आवेदक
का फोटो
चिपकाएं

1. नाम
2. जन्म तिथि(DD/MM/YYYY)
3. छात्रा की माता का नाम.....
4. छात्रा के पिता का नाम.....
5. स्थायी निवास का पता.....
6. छात्रा का आधार नंबर.....
7. छात्रा का भामाशाह नंबर.....
8. कस्तूरबा गांधी विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 8 उत्तीर्ण की गई.....
9. कक्षा 8 में प्राप्तांक (अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
10. राजकीय विद्यालय का नाम जहां से कक्षा 10 उत्तीर्ण की गई.....
11. कक्षा 10 में प्राप्तांक प्रतिशत(अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
12. राजकीय विद्यालय का नाम जहां कक्षा 11 में अध्ययनरत है.....
13. कक्षा 12 में प्राप्तांक प्रतिशत(अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें).....
14. स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम.....

छात्रा व अभिभावक का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त समस्त सूचनाएं सही हैं। सूचनाएं अपूर्ण एवं मिथ्या पाए जाने पर अपात्र घोषित किया जा कर विभागीय/वैधानिक कार्यवाही की स्थिति में हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।

माता/पिता के हस्ताक्षर

छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा.....पुत्री श्री/श्रीमती.....
सत्र में इस संस्था..... की कक्षा में अध्ययनरत है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर

(कार्यालय उपयोगार्थ)

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रापुत्री श्री/श्रीमती.....
एस.टी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु पात्र/अपात्र है। अपात्र होने का कारण यह है कि.....

हस्ताक्षर मय मुहर जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-प्रथम)

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एस.टी.डी.आर. का इद्राज

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त छात्रा को एस.बी.आई. बैंक की शाखा.....
द्वारा जारी एस.टी.डी.आर. नम्बर दिनांक राशि..... का इस कार्यालय
के रजिस्टर सं. में क्रमांक पर इन्द्राज कर लिया गया है।

हस्ताक्षर मय मुहर जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक-प्रथम)

परिशिष्ट

प्रपत्र-1

क.सं.	छात्रा का नाम	जन्म दिनांक	पिता का नाम	माता का नाम	स्थाई निवास का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.

प्रपत्र-2

क.सं.	छात्रा का नाम	कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का नाम	जन्म दिनांक	पिता का नाम	माता का नाम	जाति वर्ग	कक्षा 8 में प्राप्तक प्रतिशत / ग्रेड	कक्षा 10 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय का नाम	कक्षा 11 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय का नाम	कक्षा 12 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय का नाम	प्रथम वर्ष में अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम	स्थाई निवास का पता	5 वर्ष की अवधि की एस.टी.डी.आर. की राशि नम्बर व दिनांक	3 वर्ष की अवधि की एस.टी.डी.आर. की राशि नम्बर व दिनांक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

प्रपत्र-3

क.सं.	जिले का नाम	कक्षा 11 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं की संख्या	प्रति छात्रा को 2000/-रूपये की दर से कुल मांग	प्रति छात्रा को 4000/-रूपये की दर से कुल मांग	कुल मांग (कॉलम सं. 4 + 6 योग)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
					7.